

## राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

क्रमांक:- प.17 (55)/तक. सहा./वि.बो./2020-21/627-32 दिनांक : 13/1/2021

### कार्यालय आदेश

बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण (Supersede) में वर्तमान में लागत राशि रु. 10.00 लाख से अधिक के कार्यों की दोष निवारण की अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	दोष निवारण अवधि
1	सड़क नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कार्य	5 वर्ष
2	नवीन सड़क/भवन/पुल/सीडी कार्य	5 वर्ष
3	सड़क चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण एवं उन्नयन कार्य	5 वर्ष

यह आदेश जारी करने की दिनांक से प्रभावी है तथा प्रगतिरत एवं आगामी समस्त निविदाओं में शामिल किया जाना है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

र 3

(ताराचन्द मीना)  
प्रशासक

क्रमांक:- प.17 (55)/तक. सहा./वि.बो./2020-21/627-32 दिनांक : 13/1/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य लेखाधिकारी, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जोन-प्रथम/द्वितीय, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, समस्त...*by Mail*।
4. अधिशाषी अभियन्ता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, समस्त...*by Mail*।
5. आरक्षित पत्रावली।



(मनोज मित्तल)  
तकनीकी सहायक, प्रशासक